

माध्यम-अंग्रेजी

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद।

प्रेष्य,

प्रबन्धक,
बाबा पब्लिक स्कूल घूकना
गाजियाबाद।

पत्रांक/ मान्यता-शि०स०/ ९३७-३७

/2018-19

दिनांक: ०५/०५/१८

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता

प्रमाण-पत्र।

प्रिय महोदय/ महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 28.08.2017 के और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/ निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से बाबा पब्लिक स्कूल घूकना गाजियाबाद को कक्षा-८ तक हेतु दिनांक 01.04.2018 से तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्यता समिति की बैठक दिनांक 18.04.2018 की कार्यवाही में व्यक्त सहमति अनुमोदन के आधार पर औपचारिक मान्यता का प्रदान किया जाना सम्प्रेषित करता हूँ-

1. मान्यता के लिये स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद मान्यता/ सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं करता है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), कक्षा की सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत तक पास-पड़ोस के कमज़ोर दर्गाँ और राधनहीन समूह के बालकों को प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. प्रस्तर-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/ विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण, धर्म, जाति, अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा।
7. विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा—
(एक) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
(दो) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अद्याधीन नहीं किया जाएगा।
(तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
(चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 23 के अधीन अधिकृत किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
(पांच) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/ विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
(छः) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन यथा अधिकृत न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यालय अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
(सात) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन निर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

[Signature]

R

संलग्नक—अनुलग्नक तीन

विद्यालयों के संचालन हेतु अन्य शर्तें निम्नवत् होगी—

- प्राइमरी से कक्षा-8 तक के शिक्षण के लिये उत्तर प्रदेश और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 की धारा-8 के प्रस्तार-15 में प्रदत्त व्यवस्थानुसार अहंतादारी अध्यापक / अध्यापिकाओं का उपलब्ध होना आवश्यक है। यह भी ध्यान रखा जायेगा कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिये कम से कम प्रति कक्षा-कक्ष हेतु विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन भाषा से सम्बन्धित शिक्षक उपलब्ध हों, इसके अतिरिक्त बाल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं कार्यानुभव शिक्षण हेतु भी एक एक शिक्षक उपलब्ध होना चाहिये।

2- विद्यालय में आवश्यकतानुसार लिपिक एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की जानी आवश्यक है। शेष सभी शिक्षक, छोटीदार, आया एवं सफाई कर्मचारी की अंशकालिक नियुक्ति मान्य की जा सकती है। शेष सभी शिक्षक, शिक्षणेत्तर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्णकालिक होना आवश्यक है।

3- विद्यालय के कर्मचारियों के लिये प्रबन्धाधिकरण द्वारा सेवा नियमावली बनाकर प्रस्तुत की जायेगी जिसमें नियुक्ति का प्रकार, परिवीक्षाकाल, स्थायीकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध में संविधान एवं विधि सम्मत प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। प्रबन्धाधिकरण के समझ अधिकारी एवं विद्यालय के सभी श्रेणी के कर्मचारियों (प्रधानाध्यापक, अध्यापक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) के मध्य विधिमान्य श्रेणी के कर्मचारियों (प्रधानाध्यापक, अध्यापक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) के मध्य विधिमान्य श्रेणी के कर्मचारियों के कर्मचारी की नियुक्ति की जायेगी।

4- सेवा नियमावली में अवकाश, पेंशन, ग्रेचुटी, बीमा, पीएफ० तथा अन्य कर्मचारी कल्याणकारी योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

5- मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं मंहगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो अध्यापकों / कर्मचारी कल्याणकारी योजना का अंशदान वहन करने के लिये पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा मंहगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विद्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों में शुल्क लिया जा सकता है— 1-शिक्षण शुल्क 2- मंहगाई शुल्क 3- विकास शुल्क 4- विज्ञान शुल्क 5-प्रस्ताकालय एवं वाचनालय कीड़ा शुल्क 6- विज्ञान शुल्क 7- श्रव्य शुल्क 8-कीड़ा शुल्क 9- परीक्षा / मुल्यांकन 10- विद्यालय समारोह / उत्सव 11- विशेष विषयों की शिक्षा— कम्प्यूटर / संगीत आदि।

6- विद्यालय स्वीकृत सेवा शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

7- जहाँ वेसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं या किसी व्यक्ति से प्राप्त प्रत्यावेदन के आधार पर यह अभिलिखित कारणों से संतुष्ट है कि मान्यता प्रदत्त किसी विद्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया गया है अथवा अनुसूची में निर्धारित मानकों एवं स्तर को पूर्ण करने में चूक की गई तो विद्यालय को एक माह के अंदर स्पष्टीकरण सम्बन्धी नोटिस निर्गत किया जायेगा। स्पष्टीकरण की प्राप्त नहीं होता है अथवा स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होता है तो नियमानुसार मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

8- जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अध्यापक कोई अनुभाग न खोला जायेगा और न ही बन्द किया जायेगा न समाप्त किया जायेगा और न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। किसी भी विद्यालय को शाखा विद्यालय चलाने की अनुमति नहीं होगी।

9- प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधिकानों के दृष्टिगत औपचारिक मान्यता तीन वर्ष के लिये दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तर्फ संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गई है।

उक्त मानकों/शर्तों का कडाई से अनुपालन किया जाय।
(विनाश क्रमार)

(विनय कुमार)
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
गजियाबाद।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पादयर्थों के आधार पर पादयकम का पालन करेगा।
9. विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-
- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल— 150 वर्गगज कुल निर्मित क्षेत्र—450 वर्गगज तीन तल कीड़ा—स्थल का क्षेत्रफल—00 वर्गगज कक्षाओं की संख्या—11 प्राधानशालापक कक्ष—01 सह—कार्यालय—01 सह—भृत्यागर के लिए कक्ष—01 बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय— है पैदल सुविधा— उपलब्ध है।
- मिड-डे मील पकाने के लिए रसोई—X बाधा रहित पहुंच है।
- अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा, खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता
10. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नामस्से कोई गैर—मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा—स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
12. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।
13. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड, अकाउटेट द्वारा संपर्कित की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
15. आपके विद्यालय को आवित्त मान्यता कोड संख्यांक नंसी—VIII—74/2018—19 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशकों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यालय की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
18. छात्र/छात्रों के बैठने हेतु प्रति छात्र 9 वर्ग फीट का स्थान—सुरक्षित करते हुए कक्षों की माप के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित की जाए।
19. विद्यालय प्रबन्धन/न्यास और कर्मचारी वर्ग समय समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।
20. संलग्न अनुसंलग्नक तीन के अनुसार अन्य शर्तें।
- मान्यता प्राप्त करने में यदि किसी तथ्य का गोपन किया गया होगा अथवा दिये गये पत्राजातों में कोई पत्र फर्जी या कूटरचित पाया जाता है तो यह मान्यता पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा उचित कार्यवाही की जायेगी जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

भवदीय


(विनय कुमार)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

गाजियाबाद।

पृष्ठा/मान्यता/

/2018-19

तददिनांक—

प्रतीलिपि—निम्नानुसार अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक प्रथम मण्डल मेरठ।
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी, लोनी गाजियाबाद।
3. कार्यालय प्रति।

गार्थन


(विनय कुमार)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

गाजियाबाद।

कार्यालय – जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद।

पत्रांक मान्यता टी०सी० / ५१३३-३४ / २०२१-२२

दिनांक २५। ३। ३। २२

प्रबन्धक,
बाबा पब्लिक स्कूल,
धूकना गाजियाबाद।

कृपया आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 22-03-2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
जिसके द्वारा विद्यालय का नाम परिवर्तन करने तथा विद्यालय का संचालन घर्तमान ट्रस्ट के द्वारा करने
का अनुरोध किया गया है। प्रबन्ध समिति द्वारा नवीन नाम परिवर्तन सम्बन्धी वॉछित सभी अभिलेख उपलब्ध
कराये हैं।

सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद की संस्थानि के आधार पर प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार
विद्यालय को कक्षा- नसरी से कक्षा ०८ (अंग्रेजी- माध्यम) तक की अस्थायी मान्यता कार्यालय के पत्र
शि०सं०मान्यता/ ९३७-३९/ २०१८-१९ दिनांक ०५-०५-२०१८ द्वारा प्रदान की गई है। प्रबन्ध समिति का
प्रस्ताव दिनांक 21-03-2022 के द्वारा विद्यालय का नाम परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया है।

विद्यालय परिवर्तित नाम – बाबा इण्टर नेशनल स्कूल धूकना गाजियाबाद।
विद्यालय को दी गई मान्यता स्थायी की जाती है। विद्यालय को भविष्य में भी मान्यता की शर्तों के मानक
को बनाये रखना होगा अन्यथा विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

(ब्रजभूषण चांदरा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

पृ० सं० मान्यता-टी०सी० /
प्रतिलिपि- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद को सूचनार्थ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।